

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2022—आषाढ़ 28, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2022

क्र. एफ - 3-3-2019-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्द्वारा श्री अवधेश प्रसाद तिवारी, सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक को दिनांक 13 जून 2022 से 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने के दिनांक 18 अप्रैल 2023 तक के लिये संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.